

25-7-22

अभिभाषक अपीलान्त एव अपीलान्त दानाराम  
 दश प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली  
 आज तारीख पेशी में ली गई। अभिभाषक  
 अपीलान्त ने दिनांक 6-7-2022 को प्रार्थना पत्र  
 पेश कर अपील विद्वा करने का निवेदन किया।  
 विद्वा प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक  
 अपीलान्त ने विद्वा प्रार्थना पर अंकित वि-दुमो पर  
 बहस कर कहा कि अपील उपखण्ड अधिकारी  
 मादरा के निर्णय दिनांक 30-7-2021 के विरुद्ध  
 पेश की गई है। राजस्व अपील अधिकारी  
 हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 28-2-2022 द्वारा  
 उपखण्ड अधिकारी मादरा का निर्णय 30-7-2021

दानाराम  
 दानाराम

Madhukar Sharma  
 Per

लगानाई

अति.संभोगीय आयुक्त  
 बीकानेर

अपील संख्या

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुकम की कार्रवाई में जारी हुए
-------	-----------------------------------	--

निरस्त कर पुन सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है अतः इस न्यायालय में अपील को अपीलान्त विग्र करना चाहता है अतः अपील विग्र की जावे। रेस्पोंडेण्ट सं. 1 तथा के अभिभाषक ने अपीलान्त द्वारा अपील विग्र करने पर (No objection) अनापत्ति किया। अपीलान्त जो कि न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थित है ने पार्शना पत्र मय पदचान पत्र प्रस्तुत कर अपील विग्र करने का कथन किया है। हमने पार्शना विग्र स्व पत्रावली का अवलोकन किया तथा ब्रदस पर मनन किया। अपीलान्त स्वयं अपील को आगे नहीं चलना चाहता है। अतः विग्र पार्शना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्त जरिये (withdraw) विग्रवल खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अद्यतन न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाकर पत्रावली काउं तरीब तकमिल दायिल दफ्तर रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधीक्षक  
कारिड  
श्रेजा  
456-457  
25.7.22

अति. संचारीय आयुक्त  
बैकानेर